कार्यालय, नगर निगम, फिरोजाबाद

पत्रांकः 4622 / कर विभाग / 2015–16 दिनांक : /16.2/2016

प्रेस विज्ञप्ति
आवश्यक सार्वजनिक सूचना

फिरोजाबाद नगर निगम में विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली उपविधि 2016 (फिरोजाबाद नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों जैसे वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन, सरकारी भू–सम्पत्तियों पर विज्ञापन, निजी भूमि सम्पत्तियों पर विज्ञापन, बरामदा विज्ञापन, दीवार विज्ञापन, प्रक्षिप्त विज्ञापन, विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन, आकाशीय विज्ञापन, विविध और अस्थायी विज्ञापन, चलायमान वाहन पर विज्ञापन एवं दुकानों प्रष्ठिानों पर विज्ञापन इत्यादि पर कर का निर्धारण और उसे वसूल करना) को लागू किया जाना है। जिस हेतु समस्तजन से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाते है। कोई भी आपत्तिकर्ता किसी भी कार्य दिवस को विभाग में आकर अथवा नगर निगम के वेबसाइट www.firozabadnagarnigam.com पर प्रस्तावित उपविधि का अवलोकन कर प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव विज्ञापन विभाग में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम फिरो0	**अपर नगर आयुक्त** नगर निगम फिरो0	**नगर आयुक्त** नगर निगम फिरो0

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :– सम्पादक दैनिक दैनिक जागरण, निशानेश को इस आश्य के साथ कि अपने अंक पत्र में कम से कम स्पेस में एक दिन प्रकाशन कर तीन प्रतियों में बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करें।

2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

दैनिक जागरण
निशानेश

कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम फिरोजाबाद।

16/02/2016

फिरोजाबाद नगर निगम, (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2016 (फिरोजाबाद नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर का निर्धारण और उसे वसूल करना)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172ज, 192, 541, 227, 550 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और इस विषय पर सभी विद्यमान नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके। फिरोजाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न) विज्ञापनों पर कर का निर्धारण और वसूल करने की उपविधि का प्रारूप :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1)	यह उपविधि फिरोजाबाद नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2016 कही जायेगी।
		(2)	इसका विस्तार फिरोजाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में होगा।
		(3)	यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
परिभाषाएं	2-	(1)	जबतक कि इस विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से हैं।

(दो) ''विज्ञापन कर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित हैं और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित हैं।

(तीन) ''विज्ञापन'' प्रतीक का तात्पर्य नगर निगम सीमा के अन्दर व सीमा से दिखने वाले विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से हैं जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हो और जो घरों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो, व नगर निगम सीमा जहॉ समाप्त होती हो वहॉ से दिखने वाले विज्ञापन जो नगर निगम सीमा में न हो प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित विज्ञापन पट्टों व ऐसे सार्वजनिक मार्ग जो नगर निगम सीमा में न हो लेकिन जिसके दोनों छोर पर नगर निगम सीमा हो पर निजी भू–भवन की भॉति कर का आरोपण होगा।

(चार) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से हैं,

(पॉच) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से हैं जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना लहरा रहा हो,

(छः) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(सात) ''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से हैं जो अपने संप्रदर्शन की सतह

के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो,
(आठ) ''निगम'' का तात्पर्य फिरोजाबाद नगर निगम से हैं,
(नौ) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से हैं जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,
(दस) ''भू–प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से हैं जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,
(ग्यारह) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से हैं जो स्थायी या अन्यथा हो ओर जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,
(बारह) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से हैं जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा से बाहर की ओर हो,
(तेरह) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से हैं जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उसस 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,
(चौदह) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से हैं,
(पन्द्रह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से हैं जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित हैं,
(सोलह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से हैं।
(सत्तरह) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से हैं जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो
(अठारह) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की उपधारा(2)के खण्ड(ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से हैं
(उन्नीस) ''साइट रेण्ट'' का तात्पर्य उ0प्र0सरकार के अधीन किसी भी विभाग की भूमि, भवन, दुकान व सार्वजनिक मार्ग पर लगने वाले विज्ञापन के स्थान का किराया (विज्ञापन कर के अतिरिक्त) से हैं,
(बीस) ''अस्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, कसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढॉचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से हैं
(इक्कीस) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध उससे संयोजित या उससे टॉगे गये किसी विज्ञापन से हैं
(बाइस) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से हैं जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो
(तेईस) ''नवीकरण शुल्क'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से हैं, जो अवधि समाप्त होने के साथ हटाये नहीं जाते तथा स्ट्रक्चर इत्यादि यथास्थान कायम रहते हैं तो ऐसे

विज्ञापनों पर नवीकरण शुल्क का आरोपण किया जायेगा।

(चौबीस) ''विलम्ब शुल्क'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से हैं जिनका देय समय से जमा नहीं हो पाता उन पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया जायेगा।

(पचीस)'' पंजीकरण'' का तात्पर्य नगर निगम सीमा के अन्दर विज्ञापन का कार्य करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक हैं।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

स्थल चयन के लिए समिति का गठन

3- **(1)** नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए निगम में एक समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(दो) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
(तीन) परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(पॉच) नगर एवं ग्राम्य नियोजन का अधिकारी	सदस्य
(छः) परिवहन विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
(सात) सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
(आठ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
(नौ) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(दस) निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो	सचिव

टिप्पणी –नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य का सहयोजित कर सकता हैं जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

प्रतिषेद्य

4- **(1)** नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिर्निमित करेगा, न प्रदर्शन करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिर्निमित करेगा, न प्रदर्शन करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिर्निमित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

5- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जाएगा जिसे पॉच सौ रूपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता हैं, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

ग्लोपोल, केयास्क बौर्ड,ट्रीगार्ड जैसे विज्ञापन हेतु एक आवेदन पत्र पर 25 अदद् तथा अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट क्रम 12 में दो से पॉच तक विज्ञापन पट्ट हेतु एक आवेदन पत्र पर दस अदद् विज्ञापन पट्ट स्वीकार होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :–

(क) विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊॅचाई, यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो सहित लम्बाई, ऊॅचाई और भार को दर्शाने पूर्ण विनिर्दिष्ट, जहॉ इसे परिनिर्मित किया जाना हो, उसकी अवस्थित, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता तथा जहॉ प्रयोज्य हो वहॉ प्रकाश पुंजो संख्या और उसका वैद्युत विवरण,

(ख) ऐसे प्रपत्र में विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊॅचाई यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सहित 1:500 के पैमाने मे चिन्त्रित स्थल पर विज्ञापन की स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थान योजना और 1:20 के पैमाने या उसके यथार्थ गुणक, में स्याही से या छापों पर चिन्त्रित पूर्ण विवरण वाल चित्र संलग्न होगा,

(ग) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगण्नांए आवेदन–पत्र में प्रस्तुत की जाएंगी;

(घ) कोई अन्य विशिष्टियॉ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(ड.) गुब्बारा विज्ञापनों के मामलों में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में

कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन औ प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संकणनाओं में लिया गया वायुभार भवन संहिता, 2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव'' के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिर्निमित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम(4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम कि स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिर्निमित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता हैं तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाएगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

6- **(1)** किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जाएगी कि –

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्भृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो,की ऊँचाई छः मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा;

(घ) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ड.) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त

की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा;
(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति के दिन रात्रि के 12 बजे तक विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे। परन्तु यदि वे विज्ञापन को नहीं हटाते हैं और उसे आगे के लिए जारी रखना चाहतें हैं तो अवधि समाप्त होने के पन्द्रह दिनों पूर्व निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ नवीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जाएंगे, प्रदर्शित किये जाएंगे, सम्प्रदर्शित किये जाएंगे या परिर्निमित किये जाएंग;
(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;
(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जाएगा;
(ट) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे, निरस्त कर दे जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटाय देगा।
(ठ) विज्ञापन कर्ता नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित इस उपविधि और विउपविधि का अनुपालन करेगा।
(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, घाटों, सर्किट हाउस और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष विज्ञापन करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
(ढ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होंगें;
(ण) विज्ञापनों से अवस्थान और कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए।
(त) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षाए में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;
(थ) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ पौधों में गाड़ा, बॉधा नहीं जाएगा।
(द) विज्ञापन होर्डिंग,बोर्ड से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती हैं तो उसका उत्तरदायित्व विज्ञापनकर्ता का होगा,इस निमित्त यदि कोई आर्थिक क्षति विज्ञापनकर्ता को होती हैं तो उसका कोई लेना–देना निगम से नहीं होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जाएगा;
(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता हैं;
(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर, किया जाता हैं;
(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता हैं;
(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में काई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता हैं जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिर्निमित किया जाता हैं, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित हैं; या

(ङ.) यदि ऐसा भवन या संरचना,जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हों, भंजित या नष्ट हो जाती हैं।

प्रीमियम 7- **(1)** नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियम करेगा।

(2) न्यूनतम सात दिन का समय, मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

आवण्टन समिति 8- **(1)** नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवण्टन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होगे :–

(एक) अपर नगर आयुक्त	सदस्य
(दो) निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी जो सहायक नगर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न न हो	सचिव

(2) समिति इस उपविधि के में विर्निदिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 26 के अधीन कर सहित देय की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(4) सदस्य सचिव द्वारा समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापन कर्ता द्वारा निगम को अनुमोदित देय समस्त धनराशि का दस प्रतिशत जमानत धनराशि देय होगी, जिसे अनुज्ञा अवधि के दौरान समस्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की अवस्था में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जायेगा तथा यदि अनुज्ञा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता हैं तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जमानत धनराशि सहित कुलन देय धनराशि जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जाएगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विर्निदिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहॉ नियम–18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित वार्षिक कर और उच्चतम देय धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

(10) पंजीकरण शुल्क–नगर निगम सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन कार्य करने वाले प्रत्येक विज्ञापनकर्ता एक से पॉच विज्ञापन पट्टों के लिए पंजीकरण की धनराशि रू0 दस

			हजार तथा पॉच से अधिक विज्ञापन पट्टों के लिए पंजीकरण धनराशि रू0 बीस हजार होगी।
आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार	9-		नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता हैं :–
			(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो;
			(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो,जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
			(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति से दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो;
			(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;
			(ड.) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;
			(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत होगा।
			(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिर्निमित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।
अनुज्ञा प्रदान करने की रीति	10-		किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिर्निमित करने, प्रदर्शन करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तांतरित करने हेतु आवण्टन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा;–
			(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा
			(दो) निविदा आमन्त्रित करने के द्वारा किन्तु,यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भू सम्पत्ति पर परिर्निमित, प्रदर्शन, संप्रदर्शित हैं तो निर्धारित आवेदन पत्र पर नियम–26 के अनुसार अनुज्ञा / नवीकरण प्रदान की जाएगी।
अनुज्ञा की अवधि	11-		अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विर्निदिष्ट अवधि के लिए होगी।सरकारी भूमि पर प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष के लिए व निजी भू सम्पत्तियों पर यह अनुज्ञा या नवीकरण के वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए होगी। ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जाएगी या उसका नवीकरण किया जाएगा।
विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट	12-	**(1)**	यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमाली के उल्लंघन में परिर्निमित किया जाता हैं, प्रदर्शित किया जाता हैं, संप्रदर्शित किया जाता हैं, लगाया जाता हैं,

हटाने की शक्ति

चिपकाया जाता हैं, लिखा जाता हैं,चित्रित किया जाता हैं या लटकाया जाता हैं या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता, भवन स्वामी को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती हैं या मिटवा सकती हैं और जमा जमा धनराशि से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैं,

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय; और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था,लिखा गया था चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता हैं तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

विज्ञापन पर निर्बन्धन

13- **(1)** किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लगाया नहीं जाएगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा,चित्रित नहीं किया जाएगा या लटकाया नहीं जाएगा यदिः—

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर X 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(चार) नियम—3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(पॉच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो;

(छ) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :—

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुॅचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दॉयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य

राजमार्गों के यान के छोर के 10 मीटर के भीतर ;

(तीन) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियन्त्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(चार) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो;

(पॉच) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

(छः) जब इनसे स्थानीय सुविधाएँ प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट हैं, सम्मिलित हैं या जो उनके द्वारा प्रदीप्त हैं;

(दो) ऐसी सघनता या चमकवाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विध्न पड़ता हो;

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के संबंध में निर्बंधन

14- **(1)** किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामलें में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य हैं;

(2) नियम 9 और नियम 13 के अधीन रहते हुए,किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई, नियम 15(ग)(2) के अनुसार होगी।

विज्ञापन पट्टों के प्रकार

15- विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं :–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन

(ख) भू–विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा विज्ञापन

(ड.) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन

(ट) चलायमान विज्ञापन

क– <u>वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापनः–</u>

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहॉ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापनः–

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को, भाग–8, भवन सेवाएँ धारा–2, विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 05 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा;

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो स्थित सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से अवलम्बित किये जाएंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिए किसी विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप में रोका जा सके।

क–5 गहन प्रदीप्ति :– कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हएु भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि,जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें,के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

क–6 परिचालन अवधि :– लोकसौहार्द्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में,नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जाएगा।

क–7 चौंधने वाला,ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वालाः– कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला, या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित की जाएगी ताकि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 09 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किए जाना चाहिए।

ख– भू–विज्ञापन

ख–1 सामग्री :ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उप नियम(4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख–2 आयाम : भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा।प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग से ऊपर जा सकता हैं।

ख–3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान : प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक,सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु

के होंगे।

ख–4 स्थल सफाई : किसी स्थल पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 यातायात में आपत्ति :ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 तल निर्बाधनः समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या वेदी साजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता हैं।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन,जहॉ प्रयोज्य हो वहॉ नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ग– छत विज्ञापनः

ग–1 सामग्री : नियम 16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढॉचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पूर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियॉ अक्षरों या अन्य साज सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकॉए उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

ग–2 आयामः कोई छत विज्ञापन, ऊॅचे भवनों पर निम्नलिखित ऊॅचाइयों से अधिक नहीं होगा :–

	भवन की ऊॅचाई	विज्ञापन की ऊॅचाई
(क)	चार मंजिल या 18 मीटर से अनधिक	02 मीटर
(ख)	पॉच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनधिक	03 मीटर
(ग)	आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊॅचाई की गणना करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जाएगा,चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो–	05 मीटर

ग–3 अवस्थिति :

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–4 क्षेपण : कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन के परे क्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–5 अवलम्ब और स्थिरक :प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा।सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्क भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग–6 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानापत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–7 चित्रित छत विज्ञापन,नियम 14 'समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षॉए' जहॉ प्रयोज्य हो, के अनुरूप होगें।

घ– वरामदा विज्ञापनः

घ–1 सामग्री :प्रत्येक वरामदा विज्ञापन नियम 14 के उपनियम(4) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 आयाम :कोई वरामदा विज्ञापन ऊॅचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी वरामदा से लटकाया जाने वाला कोई वरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशें से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला वारामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता हैं।

घ–3 संरेखण : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा; इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 स्थान :बरांडा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगायी जाएगी :–

(एक) बरांडा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो;

(दो) बरांडा मुंडेर या आलंव के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुण्डेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो;

(तीन) पेण्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुण्डेरों पर,

घ–5 लटकते हुए बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊॅचाई : किस बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरांडा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़ंज्जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो,

घ–6 प्रक्षेपण : घ 4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से,जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ड0– दीवार विज्ञापनः

ड0–1 पदार्थ : 04 मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन

पट्टिका नियम–14 के उपनियम (4) में दिये गये 'ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग' में यथा उपबन्धित के सिवाय अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होगी।

ड0–2 परिमापः किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से

(क) अधिक नहीं होगी, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पट्टिका का सामना पड़ता हों, 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबंध में, प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार, विज्ञापन पट्टिका के मामलें को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़क के सामने न पड़ती हो, परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टिका या विज्ञापन पट्किाऍ सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ड0–3 प्रक्षेपणः कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका उस दीवार के जिससे वह लगी हो, शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बाहर नहीं निकली होगी। किसी ऐसे स्थान पर, जाहॅ पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहॉ से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊॅचाई के भीतर होगी।

ड0–4 अवलम्ब एवं संलगन : दीवारों से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका सुरक्षित रूप से लगी होगी।लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू, स्टेपल्स या कील के संबंध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को,लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पट्टिकाओं के मामलें को छोड़कर, उचित स्थिरण नहीं माना जाएगा।

च– प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकॉए:

च–1 सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊॅचाईः कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब एवं चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर–02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊॅचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे।जहॉ अग्र भाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहॉ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊॅचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलगनः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को

संरक्षण रोधी धातु दीवारगिर, राड्स, ऐंकर्स, अवलम्बन, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियॉ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सके। स्टेपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जाएगा।

च–4 अतिरिक्त भारः ऐसी प्रक्षेपण सम्बन्धी संरचनाएॅ जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाईयुक्त में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनायी गई हैं या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी, किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रीत क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी।भवन संघटक, जिस पर प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय,इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छः शामियाना विज्ञापन पट्टिकाः

छः–1 सामग्रीःशामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होगी।

छः–2 ऊॅचाईःऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊॅची नहीं होगी और न तो वे शामियान की पट्टी से नीचे और न पगडण्डी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

छः–3 लम्बाईः शामियान विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी।

ज– आकाश विज्ञापन पट्टिकाःआकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊॅचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊॅचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल सम्बन्धी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हों।

झ– अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं, सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 प्रकारः 1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेण्ट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बंरादा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलंब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी,

बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड0) विज्ञापन पट्टिाका को किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्िका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएँ नहीं हैं।

(छ:) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएँ जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर X 450 मिलीमीटर से अनधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो और,

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकताः

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएँ सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) किसी ऐसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गई हो।अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही व फट जाय या क्षतिग्रस हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात्, जब तक विस्तारित न किया जाय, 10 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिकाःपोल विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथा स्थिति, भूमि या छत कि आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हो।

(पॉच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएँः किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ और झण्डियॉ जो

कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलम्ब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, उन्हे यथाशीघ्र ओर परिनिर्माण के अधिकतम 10 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा में जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 05 दिन की अवधि तक लटकायी जा सकती हैं

(छः) अधिकतम आकार अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ क्षेत्रफल से 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपणः कपड़े की अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगायी जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकायी जा सकती हैं किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमतिः भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थायी झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर पार बढ़े नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारे विरूपित न हो।

टिप्पणीः—मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जायेगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टर लगाने के उत्तरदायी विज्ञापनकर्ता ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेगे।

विशेष :— अस्थायी विज्ञापन पर कर का आरोपण न्यूनतम एक माह के लिए होगा।

सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए सामान्य आवश्यकतायें 16-

(1) भारः—विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होगी कि वे भाग—6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड—1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये ऑधी,डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका, जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग—8 भवन सेवायें खण्ड 2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्निशमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आना चाहिए।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) यदि सम्भव हो विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाय।

(घ) अनावश्यक खम्भों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिए।

(ड0) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वभाविक सभा स्थलों पर लगायी जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जाना चाहिये।

(छः) विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार लगानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन सम्भव न हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियॉ लगायी जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोगः

(एक) सजावटी विशिष्टताः ढलाई,ढक्कन लगाने,बलाक्स,अक्षरों या जाली के लिए जहॉ अनुमति हो, और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश्य दहनशीन विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक :विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए,परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 05 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपणः जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटायी जाये चाहे वह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो,ऐसे भवन या स्थल,जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गई थी,में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जायेगी।यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिंग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गई धनराशि को नगर निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को आन्तरिक कर देनी चाहिए।

(6) अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शनः

अनुज्ञा पत्र का ब्योरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक व लाइसेन्स नम्बर व फर्म का नाम प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

दुकानों पर विज्ञापन 17- किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटका कर,स्टीकर चस्पा करके,पेण्टिंग, लेखन,ग्लोसाइन बोर्ड व साइन बोर्ड द्वारा या किसी अन्य विधि से सम्प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः

(एक) यदि किसी दुकान पर उस दुकान का नाम/प्रतिष्ठान का बोर्ड लटकाकर, रंगकर या चाहे किसी भी रीति से सम्प्रदर्शित या प्रदर्शित किया गया हो तो एक बोर्ड को विज्ञापन नहीं समझा जायेगा और उस पर इस उपविधि के अधीन कर देय नहीं होगा और दुकान के नाम के बोर्ड का साइज 4x6 वर्गफीट से अधिक नहीं होगा, व इस तरह लगाया जायेगा जिससे यातायात में किसी भी रूप से प्रतिरोध न हो।

(दो) यदि किसी दुकान के नाम के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से किसी ऐसे वस्तु के विषय में , उसके गुण आदि के बारे में उल्लेख हो या चित्रित हो जो जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता है, तो उस पर इस उपविधि के अधीन सम्पूर्ण बोर्ड का कर देय होगा।

मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन 18- (1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापनः

(एक) अभिकल्पःविज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे के स्थान पर निर्भर करेगी।किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।निम्नलिखित प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुज्ञा होगीः–

(क) व्यवस्था–एक जब मध्य चौड़ाई एक से दो मीटर हो तो व्यवस्था एक की अनुज्ञा दी जा सकती हैं।(चित्र–1)

(ख) व्यवस्था–दो जब मध्य चौड़ाई 02 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था दो की अनुज्ञा दी जा सकती हैं।(चित्र–2)

(ग) व्यवस्था–तीन जब खम्भा पगडण्डी पर स्थित हो तो व्यवस्था तीन की अनुज्ञा दी जा सकती हैं।(चित्र–3)

टिप्पणी–ऊपर चित्रों में प्रदर्शित फलकों के साथ साथ अतिरिक्त विज्ञापन फलक की अनुज्ञा दी जा सकती हैं,किन्तु फलकों के मध्य न्यूनतम उर्ध्व निकास 0.5 मीटर का होगी।

(दो) विज्ञापन पट्ट का आकार 0.75 मीटर X 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(तीन) भू– तल के उपर से विज्ञापन पट्ट पर के निचले तल तक न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नही होगा ।

(चार) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते है और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार अभिकरण द्वारा संप्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2) बस सायरनों पर विज्ञापन –

अभिकल्प :– बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर ,क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोडतें हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाऐगी । बस सायबानो पर विज्ञापन पट्‌ट के आकार निम्नलिखित है :–

(क) टाइप 1 : 7.3 मी0 ग 0.76 मीटर

(ख) टाइप 2 : 9.1 मी0 ग 0.76 मीटर

(ग) टाइप 3 : 11.0 मी0 ग 0.76 मीटर

चित्र–4 बस सायबानों पर विज्ञापन के संप्रदर्ष के ब्यौरे को प्रदर्षित करता है।

(3) स्थानों को पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापनः नियम 13 के उप नियम 2 के खण्ड (तीन) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान मेंरखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मी0 X 0.35 मी0 आकार की पट्‌टी से युक्त मानक रुप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पटि्‌टयो पर संस्तुत रंग व आकार में नामो ,दूरी व दिशा आदि पेंट करने का अनुज्ञा होगा। चित्र –5 ब्यौरे प्रदर्शित करता है।

(4) <u>यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्डः –</u>

नगर आयुक्त अभिकरण को यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार यातायात रोटरी क्लब/आईलैण्ड के स्थान औरआकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा।किन्तु संप्रदर्शन की ऊॅचाई रोटरी क्लब /आईलैण्ड की उॅचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।

(5) <u>मैदानो/ पंगडंडियों के किनारे रक्षक पटि्‌टयां</u>

नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पटि्‌टयों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ – साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पटि्‌टयों पर नाम/ उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्‌टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रुप में समय–समय पर रक्षक पट्‌टी/विभाजक का रख रखाव करने और मुख्यतः पेंन्ट करने के लिए आवद्धकर होगा ।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्रीगार्ड)

नगर आयुक्त अभिकरण को पौधे के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षको पर

नाम / उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकतें है।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्डस– नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्पपात्र स्टैण्ड की व्यवस्था की एवं रख रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 ग 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम से कम नही होना चाहिए:

परन्तु यह विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौडाई से 0.25 मीटर कम होगी और पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के सामान्तर) में रखा जाएगा ।

छूट 19- (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टो पर लागू नही होगी ।

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट् पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थपित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट् पर प्रदर्शित किया जाय।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी का नाम व पता ऐसे परिसरो के भीतर रखके किसी विज्ञापन पट् पर प्रदर्शित किया जाय।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्, सिगनल्स ,यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इगिंत करने वाले सभी विज्ञापन पट्, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर ग 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पॉच) यदि विज्ञापन पट् किसी भवन की खिडकी के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो ।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बघित हो ,परन्तु यह 1.2 मीटर 2 से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम–19 के उप नियम (2) से (5) के अन्तर्गत आच्छदित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट् का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख रखाव के उत्तरदायित्व से निमुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पटः नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं होगी ।

(एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट : किसी प्रदर्शन खिड़की के उपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के उपर परिनिर्मित या प्रकाशित

विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होनी चाहिए ।

(दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट– किसी नगर पालिका , राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट , जो अध्यासन के नाम , प्रकृति या सूचना को घोषित करते है।

(तीन) नाम पट्ट– किसी भवन या सेरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इगिंत करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो ।

(3) भू– विज्ञापन पट्ट– नीचे सूचीबद्ध भू– विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नही होगी ।

(एक) यात्रा मार्ग निर्देश :– किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रखरखाव , जो यात्रा मार्ग लाइन के स्थान , किसी रेल मार्ग , स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिश्ट करते हो , जब क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हो ।

(दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट :– सामान्यतः निम्नलिखित वर्गो के विज्ञापन बिना अनुज्ञेय है, यद्यपि वे नियम–13 के उप नियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रुप से अनुरुप हो ।

(क) वर्ग(1) आधारभूत विज्ञापनः

(क) अपने शासकीय या निदेर्शित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालय अधिकारी के निर्देशों के द्वारा या अधीन लगाये गये या संप्रदर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश , विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण– आगे मार्ग विभाजक

(ख) सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा पेट्रोल भरने के स्टेशन ,चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र ,पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र ।

उदाहरण चिकित्सालय, बस स्टेशन

(ग) मुख्यतः किसी शहर ,नगर , ग्राम , या ऐतिहासिक स्थान , समाधि ,पर्यटक रुचि स्थल ।

उदाहरण एलोरा गुफाएँ फरीदाबाद नगर

(घ) सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परिनिर्मित विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट आदि ।

उदाहरण– तोपखाना क्षेत्र आगे

(ङ0) क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबधित करने से संबधी विज्ञापन पट्ट ।

उदाहरण–

निजी सम्पत्ति

अतिचारी को अभियोजित किया जाएगा

(च) 0.2 वर्गमीटर या उससें कम क्षेत्रफल के विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट ,जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हो।

(ख) खण्ड(2) ऐसे परिसरों सम्बन्धित विज्ञापन जिस पर उन्हे संप्रदर्शित किया जाय–

(क) ऐसी भूमि या भवन,जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया जाए,के संबंध में पहचान,निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिये विज्ञापन,किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

कदम पर ध्यान

मोहन की सम्पत्ति लाल एवं कम्पनी

ऊषा किरन

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति,भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन,जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय,कारबार या व्यापार चला रहे हों,जहॉ ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति,भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो ओर क्षेत्रफल में 0.3 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

रामलाल एवं कम्पनी

(ग) किसी धार्मिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,मनोरंजन संबंधी,चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि जिस पर ऐसा विज्ञापन पट्ट सम्प्रदिर्शित किया गया हो पर स्थित किसी होटल,सार्वजनिक गृह,डाक बंगला,फलैट ब्लाक,क्लब,छात्रावास या होटल से सम्बन्धित विज्ञापन पट्ट जो ऐसे व्यक्ति भागीदारी या कम्पनी के संबंध में क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

इंजिनियरिंग कालेज

अवकाश गृह

रोटरी क्लब

(ग) खण्ड (3) अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन–

(क) ऐसी भूमि जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापन,ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बन्ध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित,किन्तु वह क्षेत्रफल

में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।
उदाहरण–

किराये पर देने हेतु	विक्रय हेतु घर

(ख) समान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित,जहॉ ऐसे सामान या पशुधन स्थित हो या जहॉ ऐसा विक्रय किया जाता हो,जो क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो,
उदाहरण–

विक्रय इसी सप्ताह	पशु विक्रय

(ग) ऐसी भूमि,पर जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये जाय,भवन सम्बन्धी या तत्सदृश कार्य किये जाने से सम्बन्धित विज्ञापन,जो क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।
उदाहरण–

सतर्क खुदाई प्रगति पर

(घ) किसी धार्मिक,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,राजनैतिक,सामाजिक या मनोरंजनबन्धी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना,जो ऐसा कार्यकलाप न हो, जिसे व्यावसायिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा हो,की घोषणा करता हुआ विज्ञापन,जो किसी परिसर पर 0.6 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन पट्ट के प्रदर्शन तक सीमित हो। उदाहरण–

दीवाली मेला	पुष्प प्रदर्शनी

(4) अस्थाई विज्ञापन पट्ट–

(एक) निर्माण स्थल संकेतक : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची–3 देखें) के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जांय।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत :
अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नतिया धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जानें वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नही है(नियम–15 झ (2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए।

(5) अनुसूची 3 में दिये गये विज्ञापन पट्टों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिए किसी अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नही होगी।

विशेष विज्ञापन	20-	(1)	यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नही है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निबन्ध एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परिनिर्मित करनें, प्रदर्शित करनें संप्रदर्शित करनें, लगानें, चस्पा करनें, लिखनें, रेखांकन करनें या लटकानें की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।
		(2)	प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। उपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एकमाह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसीअग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति काप्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विशेष नियत्रण का क्षेत्र	21-	(1)	जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबिन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकारक्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरुतित होने की सम्भावना हो,तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रुप में सम्मिलित किया जा सकता है।
		(2)	उप नियम (1) के उपबन्धों के अद्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करनें के संबंध में अपनें आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।
		(3)	किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वैलर्स", "कैफे", "डासिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
		(4)	विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतयः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही होगा।
निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा	**22-**		निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकानें के लिए निषिद्ध घोषित करें।
झण्डियों,बैनरों पर रोक	**23-**	(1)	कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकानें की क्रिया नही करेगा।
		(2)	कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रुप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है।

अनुरक्षण और निरीक्षण **24-** (1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होंगे तो उन पर मोर्चा लगनें से रोकने के लिये रंग–रोगन किया जायेगा तथा विज्ञापन पट्ट से होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता व भवन स्वामी की होगी।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति **25-** नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी, निरीक्षक या सेवककोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करनें के प्रयोजन के लिए या ऐसाकार्य निष्पादित करनें के लिए जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत को या जोकिसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु –

(एक सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नही की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन सदैव समुचित ध्यान दिया जाएगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्द्धा किया जा सके, जिसके प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिए प्रवेश दिया जाए।

विशेष टिप्पणीः यदि दौरानेगस्त कोई विज्ञापन बिना अनुमति के लगा पाया जाता हैं और वह किसी निजी भू सम्पत्ति अथवा रेलवे,छावनी परिषद की भूमि इत्यादि पर कायम हैं और हटाया जाना अति आवश्यक हैं तो उस दशा में मौके पर तत्काल भवन स्वामी, रेलवे,छावनी परिषद इत्यादि के सक्षम अधिकारी को मौखिक सूचित करते हुए उक्त विज्ञापन को हटाया जा सकता हैं,ऐसी दशा में विज्ञापन हटाने के लिए किसी भी लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कर भुगतान की रीति **26-** अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण कर भुगतान की धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जायेगा।

क्षेत्रों का वर्गीकरण	27-	विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर के वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जाएगा :– (एक) सर्वोचित वर्ग (दो) 'क' वर्ग (तीन) 'ख' वर्ग (चार) 'ग' वर्ग
हटाये जाने की लागत	28-	नियम–12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटानें या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी :– (क) 6.1 मीटर ग 3.05 मीटर या उससे कम के किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटानें कीलागत – 5000 रुपये (ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टोंसे भिन्न किसी विज्ञापन एवंविज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत – 8000 रुपये (ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफकरनें की लागत – 2000 रुपये (घ) निजी भवन पर (छत के उपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत 10000 रुपये
अपराधों के लिए और उनका शमन शुल्क	29-	(1) इस उपविधि से किसी उपबन्ध का उल्लंघन, जुर्माने से जो रू0 2000.00 से रू0 10000.00 तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी होने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, रू0 1000.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। इस उपविधि में देय कर, बकाया होने की दशा में, अधिनियम के अध्याय–21 की भॉति वसूली करायी जा सकती है। (2) उप नियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करनें पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।
प्रतिबन्धित स्थल	30-	नगर निगम सीमान्तर्गत निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्र होंगे जहॉ किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता हैं:–सर्किट हाउस के सामने, आयुक्त आवास एवं कार्यालय,मुख्य चौराहों के मध्य से 50 मीटर तक,घाटों,नाव,जल परिवहन में प्रयुक्त होने वाले यानों पर, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक भवनों, स्थानो पर, स्कूल परिसरों में किसी भी ओवर बृज के चढ़ते उतरते समय,किसी भवन के प्रवेश द्वार व निकास के सामने
प्रतिबन्धित विज्ञापन व विज्ञापन के प्रकार	31-	(क) अश्लील विज्ञापन व चित्र,शराब,बीड़ी,सिगरेट,तम्बाकू व मादक द्रव्य से बने अन्य पदार्थ। उक्त का उल्लंघन करने की दशा नियम 28 व 29 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। (ख) नगर निगम सीमान्तर्गत पोस्टर, बैनर, वाल पेण्टिग, वालरैप, कैलेण्डर सनपैक, फ्लैक्स बैनर से विज्ञापन का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।उक्त का उल्लंघन करने की दशा में नियम 28 व 29 के अतिरिक्त बैनर हेतु रू0 200 प्रति अदद्, पोस्टर पर रू0 50 प्रति अदद्, वाल पेण्टिंग पर रू0 50 प्रति वर्गफीट, वालरैप पर रू0 200 प्रति वर्गफीट व अन्य के लिए रू0 200 प्रति वर्गफीट संधि शुल्क वसूल किया जायेगा।

चल विज्ञापन	**32-**	चल विज्ञापन का प्रकारः (एक) दो पहिया (दो) तीन व चार पहिया बिना मोटर के (तीन) तीन पहिया शक्ति चलित (चार) चार पहिया शक्ति चलित (पॉच) छः पहिया या उसके ऊपर (छः) डिलीवरी वैन(माल वाहक) पर विज्ञापन
टेण्डर/नीलामी		अधिनियम में समस्त अधिकार नगर आयुक्त में निहित हैं कि निगम सीमान्तर्गत सरकारी भूमि पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों के स्थानों का टेण्डर कर सकती हैं तथा दुकानों प्रतिष्ठानों पर लगे विज्ञापन साइन बोर्ड/ग्लोसाइन बोर्ड आदि पर विज्ञापन कर की वसूलीयाबी हेतु सर्वेयर को टेण्डर के माध्यम से नियुक्त कर सकती हैं।

आज्ञा से,

नगर आयुक्त

अनुसूची–1

(नियम 5 (1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करनें की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

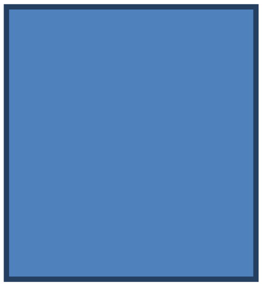

1. आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम ......
2. अभिकरण, प्रतिष्ठान कम्पनी या संस्था का नाम ......
3. पता ......
4. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार ......
5. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार ......
6. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति ......
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ......
   ......
8. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ? ......
9. (एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।
   (दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय कर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।
   (तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट
10. (एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर
    (दो) किश्त की धनराशि
11. कोई अन्य विवरण ......

दिनांक–

संलग्नक– आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि,दीवाल और भवन,सार्वजनिक स्थलों और सड़को पर विज्ञापन या विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण व निजी भूमि, भवन, दीवाल, रेलवे, छावनी परिषद इत्यादि पर प्रदर्शन के लिए–

(एक)	प्रवर श्रेणी :	रू0 1184 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(दो)	''अ'' श्रेणी :	रू0 861 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(तीन)	''ब'' श्रेणी :	रू0 754 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(चार)	''स'' श्रेणी :	रू0 592 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद(1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

3. वाहनों पर कर सड़क प्रदर्शन पर

(1)

(एक)	दो पहिया व तीन व चार पहिया,बिना मोटर के	रू0 400 वार्षिक प्रति अदद्
(दो)	तीन पहिया शक्ति चलित	रू0 100 प्रतिदिन
(तीन)	चार पहिया शक्ति चलित	रू0 1000 प्रतिदिन
(चार)	छः पहिया या उसके ऊपर शक्ति चलित	रू0 1500 प्रतिदिन

(2) डिलीवरी वैन(माल वाहक) पर विज्ञापन पर कर निम्न होंगे

(एक)	तीन व चार पहिया बिना मोटर के	रू0 200 वार्षिक प्रति अदद्
(दो)	तीन पहिया शक्ति चलित	रू0 3000 वार्षिक प्रति अदद्
(तीन)	चार पहिया शक्ति चलित	रू0 5000 वार्षिक प्रति अदद्
(चार)	छः पहिया या उसके ऊपर शक्ति चलित	रू0 10000 वार्षिक प्रति अदद्

4. विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट

(एक)	प्रवर श्रेणी :	रू0 3000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(दो)	''अ'' श्रेणी :	रू0 2000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(तीन)	''ब'' श्रेणी :	रू0 1500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(चार)	''स'' श्रेणी :	रू0 1000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5. विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्ति/परिर्वतनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह

(एक)	प्रवर श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(दो)	''अ'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(तीन)	''ब'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(चार)	''स'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

6. दुकानों/प्रतिष्ठानों पर लगने वाले ग्लोसाइन बोर्ड/साइनबोर्ड

(एक)	प्रवर श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(दो)	''अ'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(तीन)	''ब'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(चार)	''स'' श्रेणी :	रू0 1200 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
7.	गुब्बारे	रू0 500 प्रतिदिन
8.	छतरी/कैनोपी	रू0 500 प्रतिदिन
9.	एक स्तम्भ	ऊपर मद 1 के अनुसार

10.	साइट रेण्ट रू0 1345 प्रति वर्गमीटर वार्षिक सरकारी भूमि पर लगे विज्ञापन हेतु (विज्ञापन कर के अतिरिक्त)	
11.	विलम्ब शुल्क	
(एक)	ग्लोपोल,ट्रीगार्ड,फ्लावर पाट् व केयास्क बोर्ड व इसी प्रकार के अन्य विज्ञापन पट्ट हेतु	रू0 100 प्रति अदद् प्रतिमाह
(दो)	200 वर्गफीट तक विज्ञापन पट्ट के लिए	रू0 500 प्रति अदद् प्रतिमाह
(तीन)	201 वर्गफीट से 400 वर्गफीट तक के विज्ञापन पट्ट हेतु	रू0 600 प्रति अदद् प्रतिमाह
(चार)	401 वर्गफीट से 600 तक के विज्ञापन पट्ट हेतु	रू0 700 प्रति अदद् प्रतिमाह
(पॉच)	601 वर्गफीट से ऊपर के विज्ञापन पट्ट हेतु	रू0 1000 प्रति अदद् प्रतिमाह

स्पष्टीकरण :

1. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो,के दो वित्तीय वर्षो की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात इसी प्रकार की बृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात स्वतःप्रभावी होगी।
2. स्पष्टीकरण(1) के अन्तर्गत बृद्धि की गणना के उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।
3. नियम (26) के प्राविधानों के अधीन कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि छः माह से अधिक नहीं होती हैं तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी। परन्तु इसके लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा अवधि समाप्त होने के पन्द्रह दिवस पूर्व इस आशय की सूचना प्रस्तुत करना होगा कि उसे अब आगे विज्ञापन जारी नहीं रखना हैं।
5. 03 माह से कम अवधि के लिये विज्ञापन की गणना मासिक आधार पर होगी किन्तु एक किश्त में अग्रिम वसूला जायेगा।

चित्र संख्या-1

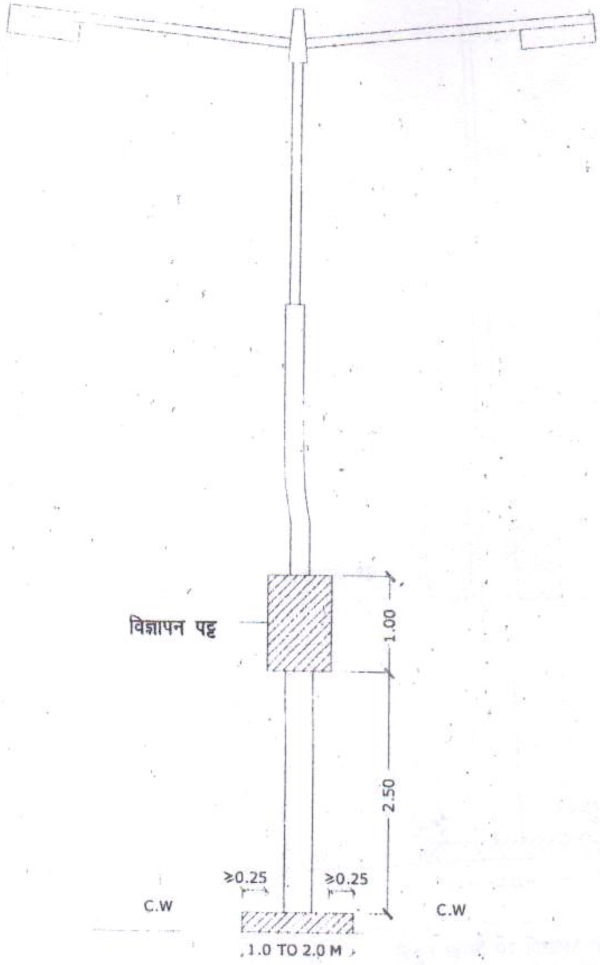

विद्युत खम्भों पर विज्ञापन पट्ट
(1 मी0 से 2 मी0 चौड़ी मध्यिका)

टिप्पणी- सभी परिमाप मीटर में हैं।

पैमाना:- 1.0 MT. 0.0 MT. 1.0 MT. 2.0 MT.

क्रमांक-2

चित्र संख्या-2

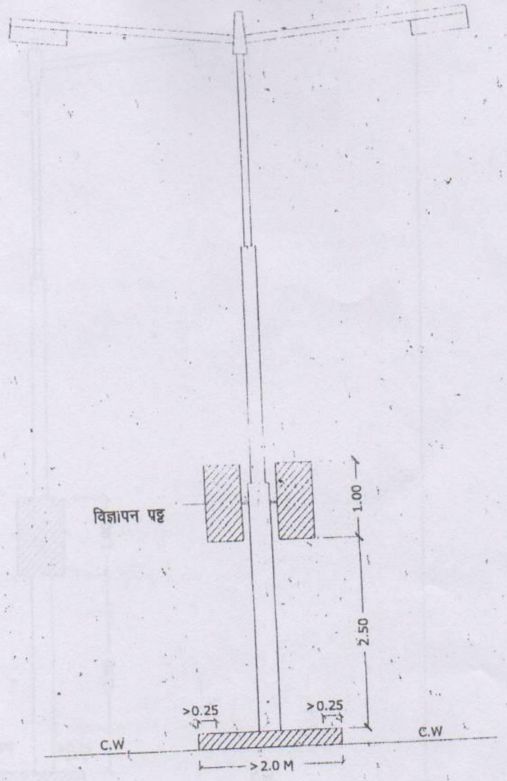

विद्युत खम्भों पर विज्ञापन पट्ट
(2 मी0 से अधिक चौड़ी मध्यिका)

टिप्पणी- सभी परिमाप मीटर में हैं।

पैमाना:- 1.0 MT. 0.0 MT. 1.0 MT. 2.0 MT.

परिशिष्टांक-3 चित्र संख्या-3

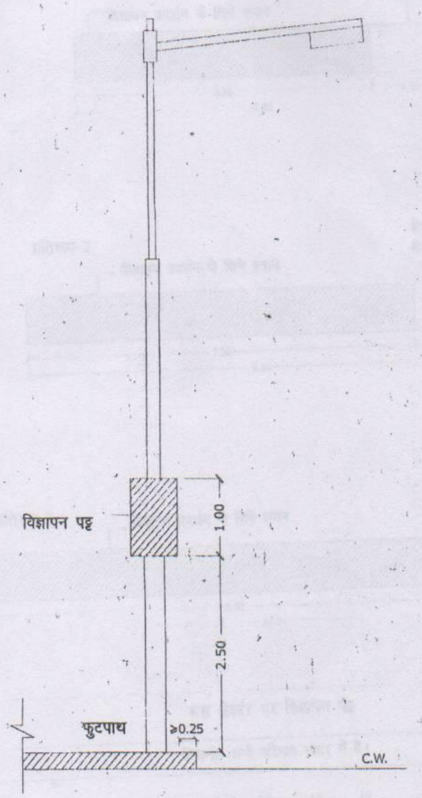

फुटपाथ पर विद्युत खम्भों पर विज्ञापन पट्ट.

टिप्पणी- सभी परिमाप मीटर में हैं।

पैमाना 1.0 MT. 0.0 MT. 1.0 MT. 2.0 MT.

चित्र संख्या-4

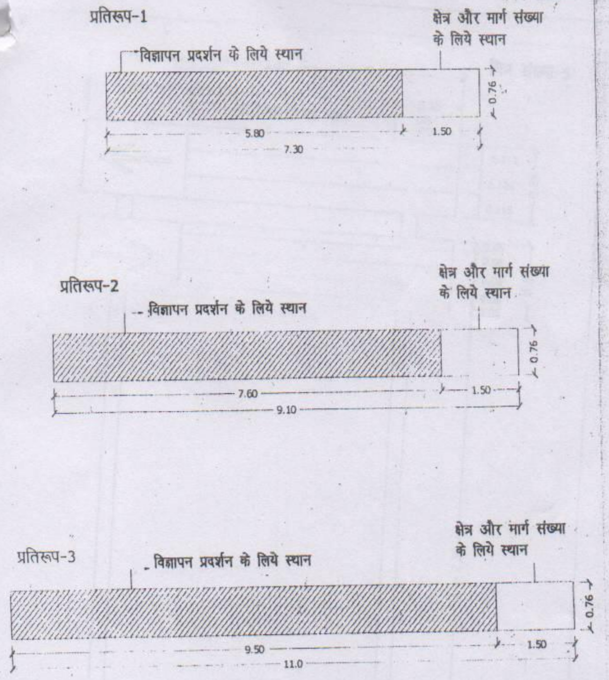

बस शेल्टर पर विज्ञापन पट्ट

टिप्पणी- सभी परिमाप मीटर में हैं।

पैमाना 1.0 MT. 0.0 MT. 1.0 MT. 2.0 MT.

चित्र संख्या-5

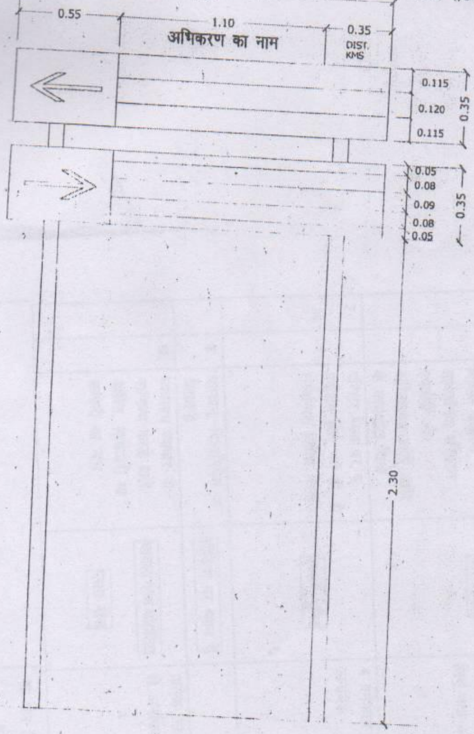

मार्ग संगमों- (जंक्शन) पर विज्ञापन पट्ट

टिप्पणी-

(1) सभी परिमाप मीटर में हैं।
(2) अक्षर के आकार और अन्तर इण्डियन रोड कांग्रेस 30:1968 के अनुरूप।
(3) अक्षर तथा तीर का रंग सफेद आधार पर नीला।
(4) माँग पर और पट्टियाँ जोड़ी जा सकती हैं।
(5) अधिकतम 6 की संख्या में पट्टियाँ बनाई जा सकती हैं।

पैमाना

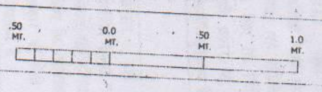

अनुसूची-3

[नियम 17 (5) देखें]

विज्ञापन-चिन्ह जिनके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है

श्रेणी (नमूने सहित)				प्रत्येक पृथक चिन्ह का क्षेत्र (समस्त का योग)	भूतल से ऊपर चिन्ह की चोटी तक अधिकतम ऊँचाई	उपलब्ध कराई गई प्रकाश व्यवस्था	चिन्ह का विवरण		अभ्युक्ति
							अनुमन्य संख्या	अक्षरों, संकेतों का अधिकतम परिमाप	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		कतिपय प्राधिकरणों, विधिक उपक्रमों, सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों और अग्निशमन दस्तों आदि के कार्यशील चिन्ह	बस स्टेशन	कार्य के सुरक्षित और दक्ष संचालन के लिए यथा आवश्यक	स्तम्भ (2) में यथावर्णित	स्तम्भ (2) में यथावर्णित	स्तम्भ (2) में यथावर्णित	स्तम्भ (2) में यथावर्णित	
2.		परिसर जिस पर व प्रदर्शित किए गयें हों, से सम्बन्धित विविध चिन्ह	एक्सरे यूनिट	4 वर्गमीटर से अनधिक	5 मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 4 मीटर)	परिसर जहाँ विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है पर केवल यह संकेतिक करने के लिए कि चिकित्सा या इसी प्रकार की सेवा या आपूर्ति उपलब्ध है	कोई संख्या	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	
	क.	पहचान, दिशानिर्देश या चेतावनी	सीढ़ियों पर ध्यान दें						
	ख.	व्यवसाय व्यापार या वाणिज्य करने वाले व्यक्ति, साझेदारी या कम्पनी का नाम	चावला एण्ड को0लि0 एस0 बोस	प्रत्येक 03 वर्ग मीटर से अनधिक	5 मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 4 मीटर)	परिसर जहाँ विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है पर केवल यह इंगित करने के लिए कि चिकित्सा या इसी प्रकार की सेवा या आपूर्ति उपलब्ध है	प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	
				का क्षेत्र (समस्त का योग)	चिन्ह की चोटी तक अधिकतम ऊँचाई	व्यवस्था	अनुमन्य संख्या	अक्षरों, संकेतों का अधिकतम परिमाप	अभ्युक्ति

				...चिन्ह का क्षेत्र (समस्त का योग)	भूतल से ऊपर चिन्ह की चोटी तक अधिकतम ऊँचाई	उपलब्ध कराइ गइ प्रकाश व्यवस्था	चिन्ह का विवरण: अनुमन्य संख्या	चिन्ह का विवरण: अक्षरों, संकेतों का अधिकतम परिमाप	अभ्युक्ति
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ग.	धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या चिकित्सा सम्बन्धी किसी संस्था, किसी भवन या परिसर का नाम	कालेज आफ कामर्स क ख ग फ्लैट्स	1.29 वर्ग मीटर से अनधिक	5 मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 4 मीटर)	परिसर जहाँ विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है पर केवल यह इंगित करने के लिए कि चिकित्सा या इसी प्रकार की सेवा या आपूर्ति उपलब्ध है	प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	
3.		अस्थायी चिन्ह (कपड़े के बैनर)							
	क.	उस भूमि (भवन स्थल के अंदर) जिस पर प्रदर्शित है, के बेचने या किराये पर देने से सम्बन्धित चिन्ह	भवन बिक्री के लिए	कुल क्षेत्र में 2.4 वर्गमीटर से अनधिक (चौड़ाई और गहराई का अनुपात 2:1) यदि भवन पर प्रदर्शित किया जाय तो 1.00 मीटर से अधिक का चिन्ह नहीं होगा	5 मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 4 मीटर)	शून्य	कोई संख्या किन्तु कुल क्षेत्रफल स्तम्भ 2 में दिए गए क्षेत्र से अधिक नहीं	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	आयोजन प्रारम्भ होने से 28 दिन पहले प्रदर्शित नहीं किया जायेगा और ऐसे सेल या मामले के समापन के बाद 14 दिन में हटा लिया जायगा
	ख.	भवन निर्माण अथवा इसी प्रकार के कार्यो से सम्बन्धित भूमि जहाँ पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है से सम्बन्धित चिन्ह	यह भवन क ख ग द्वारा बनाया जा रहा है। निर्माणकर्ता और अभियंत्रण ठेकेदार	4 वर्ग मीटर से अनधिक	5 मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 4 मीटर)	कोई नही	प्रत्येक रोड के सम्मुख, प्रत्येक ठेकेदार या उप ठेकेदार हेतु एक	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	जब कार्य प्रगति पर हो तभी प्रदर्शित किया जा सकेगा

श्रेणी (नमूने सहित)			प्रत्येक पृथक चिन्ह का क्षेत्र (समस्त का योग)	भूतल से ऊपर चिन्ह की चोटी तक अधिकतम ऊँचाई	उपलब्ध कराई गई प्रकाश व्यवस्था	चिन्ह का विवरण: अनुमन्य संख्या	चिन्ह का विवरण: अक्षरों, संकेतों का अधिकतम परिमाप	अभ्युक्ति
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						हेतु एक	मीटर)	
	चिन्ह	अभियंत्रण ठेकेदार						
ग.	स्थानीय आयोजनों जो अव्यावसायिक कार्य कलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानीय संगठनों द्वारा घोषित किए जाय, से सम्बन्धित चिन्ह	दीपावली मेला	1.5 वर्ग मीटर से अनधिक (कुल क्षेत्रफल 4 मीटर)	5 वर्ग मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र 4 मीटर)	कोई नही	कोई संख्या किन्तु किसी भी परिसर में प्रस्तर 2 में दिए कुल क्षेत्र से अधिक नहीं।	750 मिली मीटर से अनधिक (विशेष नियंत्रण क्षेत्र में 300 मिली मीटर)	आयोजन प्रारम्भ होने से 28 दिन पहले प्रदर्शित नहीं किया जायेगा और ऐसे सेल या मामूले के समापन के बाद 14 दिन में हटा लिया जायगा।
घ.	विशेष नियंत्रण क्षेत्र के लिए व्यापारिक परिसर पर चिन्ह, व्यापार के संदर्भ व्यापारिक परिसर पर चिन्ह, इन परिसरों में बिक्रीत वस्तुओं अथवा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं तथा ऐसे कार्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति	क ख ग या बैंक	प्रत्येक सम्मुख भाग के 4 मीटर ऊँचाई के क्षेत्र के 1/12 भाग से अधिक नहीं	4 मीटर से अनधिक	जहाँ विज्ञापन प्रदर्शित है, केवल चिकित्सा या समान सेवायें या आपूर्ति उपलब्ध है, को इंगित करने के लिए	कोई संख्या किन्तु कुल संख्या प्रस्तर (2) में दिये गए से अधिक नहीं	300 मिली मीटर से अनाधिक	क्षेत्र की गणना इस प्रकार की जायेगी कि भवन के सम्मुख विज्ञापन समतल पर किया गया है